

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 914/2022

अनवान : -

1. राणी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईयां तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. पुरखाराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. प्रहलाद पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. मैनपाल पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. राजबाला पत्नी लिखमाराम जाति नायक निवासी लुडनिया छोटा तहसील तारानगर।
7. राजूराम पुत्र अर्जुनराम जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर।
8. रामकुमार पुत्र जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. रामनिवास पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. रामलाल पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. विनोद पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. शेरा उर्फ शारदा पत्नी जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. सोनु पुत्री शंकरलाल जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 01/01/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 465/316 के खसरा न0 467/3 की कुल 5.3040 हैक्ट भूमि पक्षकारान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार है। प्रतिवादीगण के साथ सीव लगान काश्त आदि का झगड़ा रहता है इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खसरा न0 467/3 की 0.2210 हैक्ट भूमि जो नोहर धानसिया सड़क के चिपती हुई है दिनांक 29.06.2018 को जरिये बैयनामा खरीद की थी और अपनी खरीदशुदा भूमि पर बैयनामा के समय से ही निर्विवाद रूप से काबिज चली आ रही है तथा वादी ने अपने हिस्से की भूमि समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा अपने हक हिस्से की भूमि को काश्त करती चली आ रही है इसलिए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग अलग तकसीम करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।


बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के अनुसार मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी बहस में जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के आधार पर खाता व लगान अलग अलग किये जाने का निवेदन किया। परोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है हक हिस्सा एवं किस्म भूमि के अनुसार एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। वादी वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण नें राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की मुताबिक राजीनामा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तो हम सभी पक्षकारान सहमत है।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का राजीनामा हो गया है एवं मुताबिक राजीनाम हम अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहते है मुताबिक राजीनामा खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमें कोई उज्र व ऐतराज नहीं है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 465/316 के खसरा न0 467/3 की कुल 5.3040 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. जगदीश पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार 467/3/1 की 0.8840 कुल 0.8840 हैक्ट बारानी प्रथम
2. रामकुमार पुत्र जवानाराम हि0 1/2 शेरा उर्फ शारदा पत्नी जवानाराम हि0 1/2 जाति नायक साकिन देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया ख0न0 467/3/2 रकबा 0.8840 हैक्ट बारानी प्रथम
3. राजुराम पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार रहन हि0 पूर्ण आरएमजीबी बैंक शाखा खुईया-467/3/3 रकबा 0.7577 हैक्ट बारानी प्रथम
4. राजबाला पत्नी लिखमाराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 लुडनिया छोटा कालवास तहसील तारानगर खातेदार- 467/3/4 रकबा 0.1262 हैक्ट बारानी प्रथम
5. पुरखाराम पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार रहन हि0 पूर्ण आरएमजीबी शाखा खुईया- 467/3/5 रकबा 0.8840 हैक्ट बारानी प्रथम
6. मैनपाल पुत्र शंकरलाल हि0 1/3, सोनु पुत्र शंकरलाल हि0 1/3, विनोद पुत्री शंकरलाल हि0 1/3 जाति नायक सा0 देह खातेदार- 467/3/6 की 0.6630 कुल 0.6630 हैक्ट बारानी प्रथम


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

7. राणी पत्नी रामकुमार हि० पूर्ण जाति मेघवाल सा० सुरजनसर खातेदार 467/3/7 की 0.2210 कुल 0.2210 हैक्ट बारानी प्रथम
8. रामनिवास पुत्र नानुराम हि० 1/3 जाति नायक सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया, प्रहलाद पुत्र नानुराम हि० 1/3 जाति नायक सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया, रामलाल पुत्र नानुराम हि० 1/3 जाति नायक सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया— 467/3/8 की 0.8841 कुल 0.8841 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 914/2022

अनवान : -

1. राणी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र सन्तलाल जाति नायक निवासी खुईयां तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. पुरखाराम पुत्र अर्जनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. प्रहलाद पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
5. मैनपाल पुत्र शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
6. राजबाला पत्नी लिखमाराम जाति नायक निवासी लुडनिया छोटा तहसील तारानगर।
7. राजूराम पुत्र अर्जुनराम जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर।
8. रामकुमार पुत्र जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
9. रामनिवास पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
10. रामलाल पुत्र नानूराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
11. विनोद पुत्री शंकरलाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
12. शेरा उर्फ शारदा पत्नी जवानाराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
13. सोनु पुत्री शंकरलाल जाति नायक साकिन खुईया तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 914 सन 2022 निर्णय दिनांक - 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता संख्या 465/316 के खसरा न0 467/3 की कुल 5.3040 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. जगदीश पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार 467/3/1 की 0.8840 कुल 0.8840 हैक्ट बारानी प्रथम
2. रामकुमार पुत्र जवानाराम हि0 1/2 शेरा उर्फ शारदा पत्नी जवानाराम हि0 1/2 जाति नायक साकिन देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया ख0न0 467/3/2 रकबा 0.8840 हैक्ट बारानी प्रथम
3. राजूराम पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार रहन हि0 पूर्ण आरएमजीबी बैंक शाखा खुईया-467/3/3 रकबा 0.7577 हैक्ट बारानी प्रथम
4. राजबाला पत्नी लिखमाराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 लुडनिया छोटा कालवास तहसील तारानगर खातेदार- 467/3/4 रकबा 0.1262 हैक्ट बारानी प्रथम
5. पुरखाराम पुत्र अर्जनराम हि0 पूर्ण जाति नायक सा0 देह खातेदार रहन हि0 पूर्ण आरएमजीबी शाखा खुईया- 467/3/5 रकबा 0.8840 हैक्ट बारानी प्रथम

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6. मैनपाल पुत्र शंकरलाल हि० १/३, सोनु पुत्र शंकरलाल हि० १/३, विनोद पुत्री शंकरलाल हि० १/३ जाति नायक सा० देह खातेदार— ४६७/३/६ की ०.६६३० कुल ०.६६३० हैक्ट बारानी प्रथम
7. राणी पत्नी रामकुमार हि० पूर्ण जाति मेघवाल सा० सुरजनसर खातेदार ४६७/३/७ की ०.२२१० कुल ०.२२१० हैक्ट बारानी प्रथम
8. रामनिवास पुत्र नानुराम हि० १/३ जाति नायक सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया, प्रहलाद पुत्र नानुराम हि० १/३ जाति नायक सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया, रामलाल पुत्र नानुराम हि० १/३ जाति नायक सा० देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा खुईया— ४६७/३/८ की ०.८८४१ कुल ०.८८४१ हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम की जाकर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक ०१/०१/२०२५ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर